(118)

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. /18/श्योपुर/निगरानी

निगरानी-4695/2018/श्योपुर/भू.रा.सं.

1—वीरेन्द्र सिंह पुत्र दीवानसिंह जाति जाट सिख
निवासी ग्राम कराहल तह.कराहल जिला श्योपुर
2—मुं. जानकी देवी बेवा जनकसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम मेहरबानी तह.कराहल जिला श्योपुर
3—श्रीमती बसंती पत्नी अमृतलाल जाटव
निवासी ग्राम मेहरबानी तह.कराहल जिला श्योपुर
4—दौलतसिंह 5—राघवेन्द्र सिंह 6—दीपसिंह
पुत्रगण जनकसिंह ठाकुर निवासीगण ग्राम
मेहरबानी तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

..............निगरानीकर्तागण

1444
27/7/18

बनाम

1—म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर
2—अनुविभागीय अधिकारी, कराहल जिला श्योपुर

..............रेस्पोडेन्टगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अपने प्र.क. 18/15—16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28 11.17 से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्तागा की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:7

प्रकरण का संक्षिप्त का विवरण—

यह कि निगरानीकर्ता कं. 02 लगायत 06 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम बांकुरी तह. कराहल जिला श्योपुर में स्थित है। जिसका सर्वे कं. 257/मि 1, 260/2, 261/3, 51/मि.4 , 268/मि.4, 267/मि.2 कुल किता 06 रकबा 3 622हे. भूमि विकेतागणों से 15 वर्ष पूर्व 20 हजार रूपये प्रति बीघा की दर से क्रय की थी, जिसका विकय अनुबंध—पत्र लिखकर पूर्व में कब्जा ले लिया था तथा क्रय के आधार पर तहसीलदार कराहल के प्र.क. 48/12—13/अ—6 मे पारित आदेश दिनांक 30.05.13 से एवं आदेश दिनांक 09.07.13 से आवेदकगणों का नाम वादित भूमि पर दर्ज हुआ था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कराहल के प्रतिवेदन दिनांक 13.02.14 के आधार पर स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

कमशः......

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4695 / 2018 / श्योपुर / भू.रा.

वीरेन्द्र सिंह आदि विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व अनु.वि.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 18 / 2015–16 / स्व.–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 19.6.19 (आर0के0 जैन) सदस्य	